UPAL010144272019

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 17, अलीगढ

उपस्थित – मनोज कुमार सिद्धू एच0 जे0 एस0

J.O. CODE - U P 6417

फौजदारी अपील संख्या 132/2019

मौ0 सुहेल पुत्र श्री रफीक अली, निवासी चिनाव वल्लेय पावर प्रोजेक्ट प्रा0 लि0 रेल हैड कॉम्पलेक्स, जम्मू जिला जम्मू

..... **अपीलकर्ता**

बनाम्

1– उत्तर प्रदेश राज्य
2– श्रीमती हिना जाफरी पुत्री श्री सुरजीत हुसैन जाफरी, निवासी नियर मस्जिद, हमजा कालौनी वाईपास, न्यू सर सैयद नगर, थाना क्वारसी, अलीगढ़।

.....**विपक्षीगण**

निर्णय

1– प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या–132/2019 मौ0 सुहेल बनाम उ0प्र0 राज्य अन्तर्गत धारा 29 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 वाद संख्या 258/2019 हिना जाफरी बनाम सुहेल आदि में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 06, अलीगढ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24–08–2019 के विरूद्ध संस्थित की गयी है ।

2– संक्षेप में प्रस्तुत अपील के तथ्य निम्न प्रकार हैं कि विपक्षिया हिना जाफरी के द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध एक वाद संख्या–258/2019 अ0 धारा–12,17,18,20,22 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमें विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। विपक्षिया के द्वारा धारा–23 के अन्तर्गत अपने प्रार्थना पत्र में किसी मकान की कोई आवश्यकता नहीं बताई किन्तु अवर न्यायालय के द्वारा गलत प्रकार से मकान दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया है जबकि विपक्षिया के पास उसकी माता की मृत्यु के पश्चात् अपना मकान उपलब्ध है। प्रस्तुत मामले में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए मु0–15,000/–रू0 प्रतिमाह दिये जाने का आदेश पारित किया था जबकि परिवार न्यायालय के

Digitally signed by Manoj Kumar Siddhu
Date: 2021.03.05 15:42:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

द्वारा मु0–20,000/–रू0 शिक्षा को जोड़ते हुए दिये जाने का आदेश पारित किया गया था तथा अपीलकर्ता के द्वारा प्रतिमाह मु0–5000/–रू0 माह मई–2017 से प्रतिमाह छोटी पुत्री के नाम पोस्ट आफिस में सुकन्या समृद्धि योजना के अन्तर्गत जमा किये जा रहे हैं जो कि उसकी पुत्री के द्वारा वयस्कता प्राप्त करने के उपरान्त ही प्राप्त किये जा सकेंगे और यह सेविंग अपीलार्थी के द्वारा अपनी छोटी पुत्री के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही की जा रही है। और यदि यह विपक्षिया को दी जाती है तो यह अपीलार्थी की छोटी पुत्री के प्रति अन्याय होगा। अपीलार्थी के दो पुत्रियां हैं। बड़ी पुत्री सोहा सुहेल 16 वर्ष की है तथा छोटी पुत्री साढ़े चार वर्ष की है। विपक्षिया के द्वारा बड़ी पुत्री के प्रति व्यवहार अत्यधिक क्रूरता पूर्ण रहा और दिनांक–09.11.2017 को उसके द्वारा बड़ी पुत्री को त्याग दिया गया। अपीलार्थी अपनी बड़ी पुत्री का हर प्रकार से ध्यान रख रहा है और उसकी देखभाल कर रहा है। अपीलार्थी की ओर से अपील में यह भी आधार लिया गया कि छोटी पुत्री की कस्टडी से सम्बन्धित विवाद परिवार न्यायालय फरीदाबाद, हरियाणा में विचाराधीन है तथा विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया गया है कि विपक्षिया के द्वारा धारा–21 के अन्तर्गत नावालिग पुत्री के हित के लिये इस धारा का प्रयोग नहीं किया है जो कि विपक्षिया के इस सोच को दर्शाता है कि उसका अपनी पुत्रियों के प्रति कैसा व्यवहार है। विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया गया है कि विपक्षिया के द्वारा दिनांक–09.11.2017 को अपनी बड़ी पुत्री एवं पति का परित्याग कर दिया गया है तथा अपीलार्थी ने दिनांक–18.11.2017 को तलाक–अहसन के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी क्योंकि विपक्षिया का व्यवहार अपीलार्थी के प्रति सामान्य नहीं है बल्कि हिंसात्मक है और विपक्षिया के द्वारा लगातार अपीलार्थी का उत्पीड़न किया जा रहा है तथा यह तलाक की प्रकिृया दिनांक–18.01.2018 को पूर्ण हो चुकी है, अब दिनांक–18.01.2018 के पश्चात् विपक्षिया अपीलार्थी की पत्नी नहीं रह गयी है। विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया गया है कि अपीलार्थी दिनांक–16.12.2017 से अपने सरकारी आवास से अपनी बड़ी पुत्री के साथ अलग रह रहा है और विपक्षिया के द्वारा अपने अनुचित उद्देश्य की पूर्ति दिनांक–07.'12.2017 को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, अलीगढ़ के समक्ष तलाक के निरस्तीकरण का वाद ही संस्थित कर दिया गया है तथा विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा इस तथ्य पर भी विचार नही किया गया है कि विपक्षिया के द्वारा अपने सरकारी आवास को छोड़कर घरेलू सामान जिसकी कीमत 06लाख रूपये है, के साथ वह फरीदाबाद से अलीगढ़ शिफ्ट हो गयी है तथा अपीलार्थी व उसकी बड़ी पुत्री को सामान्य

जरूरतों की चीजों से भी वंचित कर दिया है। प्रत्यर्थी अलीगढ़ व फरीदाबाद के दोनों आवासों को सुविधापूर्वक उपयोग कर रही है तथा जब अपीलार्थी के द्वारा क्षेत्राधिकारिता के प्रश्न को उठाया गया तब विपक्षिया के द्वारा सुविधापूर्वक अपना जबाव दिनांक–18.01.2019 को प्रस्तुत कर दिया गया। प्रत्यर्थी स्थाई रूप से अलीगढ में निवास कर रही है और अपीलार्थी के द्वारा फरीदाबाद के आवास के खर्चो को विगत 12माह से वहन किया जा रहा है। तथा विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा इस तथ्य पर भी विचार नही किया गया है कि प्रत्यर्थी के द्वारा यह वाद दिनांक–19.2.2018 को प्रस्तुत किया गया है जबकि तलाक की प्रकिृया दिनांक–18.01.2018 को पूर्ण हो चुकी है तथा अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के मध्य किसी प्रकार की कोई घरेलू नातेदारी दिनांक–09.11.2017 से विद्यमान नहीं है। अतः विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक–24.8.2019 को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

3– प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी की ओर से वही तर्क प्रस्तुत किये गये हैं जो तथ्य अपीलार्थी की ओर से अपने अपील में वर्णित किये गये हैं।

4– रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जहॉ तक अपीलार्थी की ओर से तलाक के सम्बन्ध में कथन किया जा रहा है तो रेस्पोडेन्ट ने तलाक के निरस्तीकरण का वाद, वाद संख्या I–190/2017 हिना बनाम मौ0 सुहेल परिवार न्यायालय अलीगढ़ में प्रस्तुत कर दिया है जो विचाराधीन है। रेस्पोडेन्ट के विद्वानअधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया है कि जब तक यह वाद निर्णीत नही हो जाता तब तक विपक्षिया अपीलार्थी की पत्नी है। रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा दिनांक–24.8.2019 का आदेश उभय पक्षों को सुनकर पारित किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के फलस्वरूप जो मु0–15000/–रू0 की धनराशि धारा–125 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्राप्त हो रही है वह रेस्पोडेन्ट को स्वीकार है। तथा विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा अपने आदेश में यह अंतरिम निस्तारण किया है कि विपक्षी या उसके परिवारीजन वादिनी के साथ किसी प्रकार की कोई घरेलू हिंसा कारित नही करेंगे तथा वादिनी को समान रूप से उसी प्रकार का घर प्राप्त करायेंगे जिस प्रकार के घर में वह रह रही थी। उसके रहने का उचित प्रबन्ध करेंगे, उसके स्त्रीधन को खुर्द बुर्द नहीं करेंगे और जो 06हजार रूपये अपनी बेटी के नाम से डाकघर में जमा कर रहा है वह धनराशि अपनी छोटी बेटी के नाम डाकखाने में जमा न करके वादिनी को अदा करेंगे। रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि जो 06हजार रूपये की

धनराशि विपक्षी डाकखाने में जमा कर रहा है मात्र उसको रेस्पोडेन्ट को दिलाये जाने का आदेश अवर न्यायालय के द्वारा पारित किया गया है। अवर न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि रेस्पोडेन्ट को छोटी पुत्री के देखभाल, उसकी पढ़ाई लिखाई इत्यादि के खर्च हेतु धनराशि की आवश्यकता होती है और विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा पारित आदेश एकदम सही है एवं अपील खण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

5– मेरे द्वारा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया गया। आलोच्य आदेश के परिशीलन से विदित है कि विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा प्रत्यर्थी/प्रार्थिया के सम्बन्ध में यह आदेश पारित किया गया है कि वादिनी मुकदमा को 15हजार रूपये अ0 धारा–125 दं0प्र0सं0 के तहत भरण पोषण के रूप में मिल रहे हैं, जो कि न्यायालय की राय में वादिनी के भरण पोषण हेतु पर्याप्त हैं। अतः वादिनी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षी संख्या–1 को केवल यह आदेशित किया जाता है कि मुकदमा के अंतिम निस्तारण तक वह स्वयं व उसके परिवारीजन, वादिनी के साथ किसी भी प्रकार की कोई घरेलू हिंसा कारित नहीं करेंगे तथा विपक्षी सं0–1 वादिनी को समान रूप से निवास स्थान में जिस प्रकार के घर में वह रह रही थी, उस प्रकार के घर में एक निवास स्थान प्राप्त करायेंगे अथवा जिस घर में वादिनी व्याह कर गई है उसमें उसके रहने की उचित प्रबन्ध करेंगे तथा उसके स्त्रीधन को खुर्दबुर्द नहीं करेंगे और विपक्षी जो धनराशि 06हजार रूपये अपनी छोटी बेटी के नाम से डाकघर में जमा कर रहा है वह धनराशि अपनी छोटी बेटी की पढ़ाई लिखाई आदि के लिये डाकखाने में जमा न करके वादिनी को अदा करेगा।

6– इस प्रकार आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांकित–24.8.2019 एक अंतरिम आदेश है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा–23 मजिस्ट्रेट को अंतरिम आदेश पारित करने के लिये सशक्त करती है। प्रस्तुत अपील में यदि अपीलार्थी की ओर से उठाये गये तथ्यों को देंखे तो अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विपक्षी को मु0–15हजार रूपये की धनराशि दण्ड प्रकिृया संहिता की धारा–125 के अन्तर्गत संस्थित किये गये वाद में प्रदान की जा रही है, इस तथ्य को रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में स्वीकार भी किया गया है। अतः इस बात पर उभय पक्षों के मध्य कोई विवाद नहीं है कि विपक्षी अपीलार्थी से मु0–15हजार रूपये की धनराशि अपने भरण पोषण हेतु प्राप्त कर रही है।

7– अपीलार्थी की ओर से दूसरे आपत्ति अपनी अपील में यह उठाई है कि रेस्पोडेन्ट

ने अपने प्रार्थना पत्र में रिहाइश हेतु कोई मकान दिलाये जाने की याचना नही की गयी है जबकि विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांकित–24.8.2019 से निवास स्थान दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम अवर न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करें तो अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये मूल प्रार्थना पत्र में प्रार्थिया/रेस्पोडेंट के द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा–17 के अन्तर्गत शादीशुदा ग्रहस्थी में निवास स्थान दिलाये जाने की याचना की गयी है तथा धारा–18 के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत यह भी याचना की गयी है कि ऐसे मकान में किसी प्रकार की घरेलू हिंसा करने से विपक्षी को रोका जाये तथा रेस्पोडेन्ट की ओर से जो प्रार्थना पत्र अ0 धारा–23 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम दिनांक–18.01. 2019 को प्रस्तुत किया गया उसमें प्रार्थिया के द्वारा मु0–50हजार रूपये की धनराशि अंतरिम सहायता के रूप में अपने व अपनी पुत्री के भरण पोषण, रहन सहन इत्यादि खर्चो हेतु मांगे गये हैं। अतः अपीलार्थी का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में रिहाइशी आवास हेतु कोई याचना नहीं की गयी है क्योंकि रेस्पोडेन्ट के द्वारा जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया उसमें धारा–12,17,18,20 व 22 का स्पष्ट उल्लेख किया गया तथा उक्त अधिनियम की धारा–17 आवास के संदर्भ में भी मजिस्ट्रेट को आदेश दिये जाने हेतु सशक्त करती है और अपने मूल प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट के द्वारा आवास दिलाये जाने की भी याचना की गयी है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि अंतरिम भरण पोषण के प्रार्थना पत्र में यह याचना संनिहित न हो। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि यह मामला पारिवारिक विवादों से सम्बन्धित है तथा अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट हिना जाफरी अपीलार्थी मौ0 सुहेल की पत्नी है और यह भी स्वीकार्य तथ्य है कि पत्नी एवं बच्चों का भरण पोषण करने का उत्तरदायित्व पति का होता है। अतः पति का यह भी उत्तरदायित्व है कि यदि पारिवारिक विवाद के चलते यदि पत्नी व बच्चे अलग रह रहे हैं तो उनके लिये वह आवास की व्यवस्था करे। अतः इस न्यायालय के मत में विद्वान मजिस्ट्रेट के द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आवास की व्यवस्था करने हेतु विपक्षी सं0–1 को जो निर्देश दिया गया है, वह बिल्कुल सही है और इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत नही होती है।

8– अपीलार्थी की ओर से अपील में यह भी बिन्दु उठाया गया कि विपक्षी के द्वारा 06हजार रूपये की धनराशि अपनी छोटी पुत्री के नाम से डाकखाने में जमा की जा रही है जो

कि सुकन्या समृद्धि योजना के अन्तर्गत जमा की जा रही है तथा विद्वान मजिस्ट्रेट के द्वारा इस 06हजार रूपये की धनराशि को डाकखाने में जमा न करके छोटी बेटी की पढ़ाई लिखाई हेतु दिलाये जाने का आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है क्योंकि अपीलार्थी के द्वारा यह धनराशि अपने पुत्री के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से उसके खाते में जमा की जा रही है। तर्क यह भी दिया गया है कि जो मु0–15हजार रूपये की धनराशि रेस्पोडेन्ट को अपीलार्थी के द्वारा अंतरिम सहायता के रूप में धारा–125 दं0प्र0सं0 के वाद में प्रदान की जा रही है उसी में वादिया व उसकी पुत्री का रहना एवं शिक्षा इत्यादि का खर्च भी सम्मिलित है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि यह धनराशि अपीलार्थी के द्वारा अपनी पुत्री के खाते में वर्ष 2017 से जमा की जा रही है और इस प्रकार यदि यह धनराशि उस खाते में जमा करना बन्द कर दिया जायेगा तो निश्चित तौर पर जो उस योजना का उद्देश्य है वह निष्फल हो जायेगा और अपीलार्थी की पुत्री के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जो योजना का लाभ अपीलार्थी के द्वारा लिया जा रहा है वह निष्फल हो जायेगा। अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा याचना की गयी कि इस धनराशि को सुकन्या समृद्धि योजना के अन्तर्गत जमा करने का आदेश दिया जाये। जैसा कि सर्वविदित है कि सुकन्या समृद्धि योजना एक सरकारी योजना है जिसके अन्तर्गत लड़कियों के सुरक्षित भविष्य हेतु धनराशि निवेश की जाती है जिससे कि लड़की के अच्छे खानपान, रहन सहन, शिक्षा व विवाह आदि के व्ययों की पूर्ति की जा सके। इस प्रकार विद्वान अवर न्यायालय द्वारा मु0–6000/–रूपये अपीलार्थी की छोटी पुत्री के सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में जमा कराये जाने से रोके जाने का आदेश सही प्रतीत नही होता है क्योंकि नावालिग पुत्री के वर्तमान रहन, शिक्षा आदि के साथ साथ उसके भविष्य की उच्च शिक्षा तथा विवाह आदि के खर्चो को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना को बन्द कराकर यदि वर्तमान में रेस्पोडेन्ट को यह धनराशि दिलायी जाती है तो इससे अपीलार्थी की छोटी पुत्री को भविष्य में प्राप्त होने वाले एक अच्छ लाभ से वंचित होना पड़ेगा और यह दृष्टिकोण नावालिग पुत्री के भविष्य को देखते हुए न्यायोचित नहीं है। वर्तमान शिक्षा, रहन सहन के साथ साथ भविष्य हेतु भी निवेश करना आवश्यक है। अतः इस न्यायालय के मत में विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा इस मद में पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य है तथा संशोधित किये जाने योग्य है। यह भी उल्लेखनीय है कि अवर न्यायालय के द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश है और रेस्पोडेन्ट को जो 15हजार रूपये की धनराशि प्राप्त हो रही है, रेस्पोडेन्ट यदि चाहे तो वह इस धनराशि से अपनी पुत्री के शिक्षा इत्यादि के व्यय को वहन कर

सकती है क्योंकि यदि उसको आवास इत्यादि की सुविधा भी अपीलार्थी की ओर से उपलब्ध करा दी जाती है तो इस न्यायालय के मत में 15हजार रूपये की धनराशि अपने रहन सहन व पुत्री की शिक्षा आदि के लिये अंतरिम रूप से पर्याप्त प्रतीत होती है। तदनुसार अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश इस परिप्रेक्ष्य में संशोधित किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थी मौ0 सुहेल की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या1–132/2019 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या–06, अलीगढ़ द्वारा वाद संख्या1–258/2017 में पारित आदेश दिनांकित–24.08..2019 में इस सीमा तक संशोधन किया जाता है कि जो मु0–06हजार रूपये की धनराशि अपीलार्थी के द्वारा अपनी छोटी पुत्री के सुकन्या समृद्धि योजना के अन्तर्गत डाकखाने में जमा किये जा रहे हैं, वह पूर्व की भांति डाकखाने में जमा किये जाते रहेंगे। विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा पारित शेष आदेश पुष्ट किया जाता है। इस निर्णय की एक प्रति अवर न्यायालय की पत्रावली के साथ अविलम्ब वापस प्रेषित की जावे।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–05.03.2021

(**मनोज कुमार सिद्धू**)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–17, अलीगढ़।

निर्णय आज हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांकः–05.03.2021

(**मनोज कुमार सिद्धू**)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–17, अलीगढ़।